सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा विद्यालयों के लिये दिशानिर्देश सम्बन्धित।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में आये दिन सरकारी एवं गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों में बच्चों के प्रति हिंसा, दिव्यांगों के साथ भेदभाव, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होना व उनके शोषण सम्बन्धी कई घटनाओं की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। जिनमें प्रायः यह देखा गया है कि अधिकतर बच्चों को सामाजिक स्तर पर जागरुकता व ज्ञान में कमी होने के कारण बच्चे घटना व दुर्घटनाओ का शिकार हो जाते है। इसलिये में शिक्षा विभाग द्वारा छात्र–छात्राओं को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता प्रतीत होता है। उक्त का संज्ञान लेते हुए उत्तराखण्ड बाल आयोग द्वारा शिक्षा विभाग के लिये कुछ दिशानिर्देश तैयार किये गये है। जो निम्नानुसार है–

क) छात्र/छात्राओं को **नई शिक्षा नीति** के नियमित पाठ्यक्रम के साथ–साथ उनके वातावरण, उनके अधिकारों व अन्य सामाजिक विषयों के बारे में उनके आयु व कक्षा के अनुसार समय–समय पर जागरुक करवाये जाने की आवश्यकता है। उक्त के क्रम में जागरुक करवाये जाने हेतु कक्षावार विषय निम्नलिखित है–

क्रम सं0	विषय	कक्षा
1.	**पर्यावरण संबंधित जानकारी** (पौधारोपण तकनीक, पौधों का रख–रखाव, जल संरक्षाण, ऊर्जा संसाधन आदि ।	कक्षा 06
2.	**शारीरिक छवि व शारीरिक विकास** (किशोरवास्था में आयु के साथ शरीर में होने वाले बदलाव, मासिक धर्म स्वच्छता आदि) की जानकारी।	कक्षा 06 व कक्षा 09
3.	**डिजिटल दुरुपयोग** (मोबाईल आसक्ति, इन्टरनेट आसक्ति, विडियो आसक्ति आदि) की जानकारी, वित्तीय प्रबंधन व पुनर्वास के तरीके।	कक्षा 07
4.	**बाल अधिकारों** (बाल अधिकार, पोकसो, बालश्रम, बालविविाह, किशोर न्याय अधिनियम, बाल कल्याण समिति, जे0जे0बी0, चाईल्ड हेल्पलाईन आदि) की सम्पूर्ण जानकारी।	कक्षा 08
5.	**सड़क सम्बन्धी सुरक्षा** (मोटर वाहन अधिनियम, ट्रैफिक नियम आदि) व **नशीले व मादक पदार्थो का दुरुपयोग**।	कक्षा 09 व कक्षा 10
6.	**करियर परामर्श** (आजीविका प्रशिक्षण)।	कक्षा 11

7.	– **शारीरिक फिटनेस,** – **तनाव प्रबंधन,** – **रिलेशनशिप मैनेजमेन्ट,** – **उच्च शिक्षा व बारहवी कक्षा के बाद के लिये तैयार करना।**	कक्षा 12

ख) **विद्यालयों मे दिव्यांगजनों हेतु उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिशानिर्देश –**

1. यदि विद्यालय निचले तल पर है तो शारीरिक दिव्यांग बच्चों के सुचारु गमनागमन हेतु सुविधाजनक रैम्पिंग तथा कॉरिडोर होने अनिवार्य है। यदि विद्यालय में एक से अधिक तल है तो पहले तो यह सुनिशिचित किया जाये कि दिव्याांग बच्चों कि कक्षायें निचले तल पर ही लगायाी जायें। अन्यथा बच्चों कि सुविधा हेतु लिफ्ट व्यवस्था होनी अनिवार्य है।
2. दिव्याांग बच्चों कि प्रसाधन की व्यवस्था उनकी आवश्यकता के अनुरुप सुविधाजनक रुप से प्रयोग में लाये जाने वाले अनिवार्य रुप से किया जाये।
3. न्यूरोलॉजिकल सम्बन्धी दिव्यांगताओं (जैसे आटिज़्म, अधिगम अक्षमता, मानसिक मंदता) हेतु विशेष शिक्षक हर विद्याालय में अनिवार्य रुप से नियुक्त किये जाये साथ ही शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु ऑडियो–विजुअल विधि को प्रयोग में लायें जाये।
4. दिव्याांग बच्चों के लिये स्वच्छ पयजल, पुस्तकालय कौशल सम्बन्धी तथा मनोरंजन हेतु व्यवस्था होनी आवश्यक है।
5. विद्यालय में हर जगह की जानकारी सहित आकर्षक साइनेज बनायें जायें तथा यह सुचित करते हुए कि विद्यालय में दिव्याांग मित्र वातावरण है का प्रमाण विद्याालय के मुख्य द्वार पर लगाया जाना अनिवार्य है।

ग) **साईनेज व ऑडिट प्रारुप** – उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कुछ फ्लैक्स व बैनर के प्रारुप पूर्व में पत्रांक सं0– 585/SCPCR.UK/2022–23 दिनांक 02.07.2022 के माध्यम से विद्यालयों के समस्त जानकारी के साथ विद्यालयों के मुख्य द्वार पर लगाये जाने के उद्देश्य से प्रेषित किये गये थे (**संलग्नक – प्रारुप सं0 1 व प्रारुप सं0 2**)। इसी के साथ विद्यालयो के सामाजिक ऑडिट हेतु भी प्रारुप पत्रांक सं0 – 584/SCPCR.UK/2022–23 दिनांक 02.07.2022 के माध्यम से साझा की गयी थी (**संलग्नक – ऑडिट प्रारुप**)। उक्त दोनों ही प्रारुपों को समस्त विद्यालयों में जल्द से जल्द लागू किये जाने से बच्चों व अभिभावकों के साथ स्कूल की जानकारी प्रदर्शित की जा सकेगी।

घ) **बुक बैंक/पुस्तक बैंक** – भारत एक पारम्परिक देश है, जिस कारण कई परिवारों में केवल परिवार का मुखिया ही एकमात्र उपार्जक होता है, तथा विद्यालयों में हर सामाजिक–आर्थिक वर्ग के बच्चें अध्ययनरत रहते है। जिस कारण हर वर्ष नए शैक्षणिक सत्र में हर अभिभावकों के लिये अपने बच्चों को शिक्षित करने हेतु नई पुस्तकें क्रय करने के कारण उनपर अत्याधिक वित्तीय भार पड़ जाता है। इस समस्या का समाधान यह किया जाना उचित होगा कि हर विद्यालय में एक **बुक बैंक/पुस्तक बैंक** तैयार किया जाये, जिसमें शैक्षणिक सत्र के अन्त में समस्त छात्र–छात्राओं से उनके द्वारा उपयोग की गयी पुस्तकें वापिस ले ली जायें और उसी कक्षा में आने वाले अगले बैच के बच्चों को वह पुस्तकें उपलब्ध करवा दी जायें। इससे अभिभावकों पर वित्तीय भार भी कम पड़ेगा तथा उन्ही पुस्तकों को दोबारा उपयोग में लाने से पर्यावरण का भी संरक्षण हो पायेगा।

अतः उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिशानिर्देश में बताये गये बिन्दुओं को सरकारी व गैर–सरकारी समस्त विद्यालयों में उक्त विषयों पर बच्चों को जागरूक करने का कष्ट करें।

(संलग्नक – यथोपरि)

डा0 (गीता खन्ना)
अध्यक्ष